

प्रेषक,

एल० वैकटेश्वर लू  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
मऊ / गोरखपुर / इलाहाबाद / बहराइच / आवस्ती एवं बलिया।  
राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ: दिनांक २५ जून, २०१३

विषय: वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में दैवी आपदा कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० ५,१४,५०,७५० (पैंच करोड़ चौदह लाख पचास हजार सात सौ पचास मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	पत्रांक व दिनांक	मांगी गयी धनराशि (रुपये में)	शास्त्रीय दिनांक २०.०६.२०१३ द्वारा निर्गत धनराशि (रुपये में)	स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि (रुपये में)
1	मऊ	५० / आपदा—मऊ—१३ ०५.०६.१३ मण्डलायुक्त आजमगढ़ का पत्र संख्या—१५८४ / १३-१०(२०१३-१४) १८.०६.१३	२५,००,००० १,००,००,००० (अद्यतन प्रस्ताव)	—	१,००,००,००० (रु० एक करोड़)
2	गोरखपुर	२९१ / आपदा—२०१३-१४ ०४.०५.१३	२५,००,०००	—	२५,००,००० (रु० पच्चीस लाख)
3	इलाहाबाद	१४०० / दैवी आपदा—२०१३-१४ १४.०६.१३	५०,००,०००	—	५०,००,००० (रु० पचास लाख)
4	बहराइच	८४४ / आपदा—तेरह— धनावंटन / १३ ३१.०५.१३	१,००,००,०००	५०,००,०००	५०,००,००० (रु० पचास लाख)
5	आवस्ती	१२८४ / आपदा—तेरह— २०१३-१४ १९.०६.१३	२५,००,०००	—	२५,००,००० (रु० पच्चीस लाख)
6	बलिया	मण्डलायुक्त आजमगढ़ का पत्र संख्या—१५८४ / १३-१०(२०१३-१४) १८.०६.१३	२,६४,५०,७५०	—	२,६४,५०,७५० (दो करोड़ चौंसठ लाख पचास हजार सात सौ पचास)
				कुल योग रु०	५,१४,५०,७५० (पैंच करोड़ चौदह लाख पचास हजार सात सौ पचास मात्र)

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययके अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य आपदा मोबक निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं-अग्निकाण्ड, भूखलन, बाढ़ फटने, हिम स्खलन, घकवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आकरण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. राज्य आपदा मोबक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा००३००-७८/पी०६०३०४०/2012, दिनांक 24.01.2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहाँ राहत प्रदान करने के लिये मानक निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र सं-जी०आई०-१८/१-१०-२०१२, दिनांक 25.10.2012 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या-32-३/2012-NDM-1, दिनांक 28.09.2012 के माध्यम से एस०डी०आ०४००/एन०डी०आ०४०० से नोटिफाइड दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करते हुये पुनरीक्षित नॉर्म्स की सूचना उपलब्ध करायी गई है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अहं मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही घेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹० 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर घेक के माध्यम से तथा ₹० 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी घेक के माध्यम से ही किया जायें।

6. राज्य आपदा मोबक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के लूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री करली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदृप्योग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोबक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

9. आपदा मोबक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर फोल्ड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोबक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०ओ०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से

यदि कोई बघता / अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्राकृप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

11. व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तोंकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

मंवदीय  
( एल० वैंकटेश्वर ल/ )  
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या : (1) / 1-10-2013-33(62) / 13, तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- 1— महालेखाकार—प्रथम/आङ्किट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
  - 2— सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
  - 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
  - 4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
  - 5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
  - 6— सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी मठ/गोरखपुर/इलाहाबाद/बहराइच/शावस्ती एवं बलिया।
  - 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
  - 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
  - 9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
  - 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
( अनिल कुमार बाजपेई )  
उप सचिव।